न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास–श्री अरूण कुमार पुरोहित, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या –147/2024
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर –2024/173

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
1. श्री कालुराम पुत्र रतुराम 2. शिवलाल पुत्र रतुराम 3. पुरखादेवी पत्नी स्व. रतूराम जातियान जाट निवासीगण धूंधवालो की ढाणी तहसील व जिला नागौर		1. तहसीलदार नागौर 2. सुखाराम पुत्र रतुराम जाति जाट निवासी धूंधवालो की ढाणी तहसरील व जिला नागौर

उपस्थितिः–

1. अपीलान्ट की ओर से वकील श्री रामदेव सिंवर।
2. रेस्पोडेन्ट 1 की ओर से राजपैरोकार श्री ओमप्रकाश पूनियां ।
3. रेस्पोडन्ट संख्या 2 ने बावजूद सम्मन तामिल कार्यवाही में भाग नहीं लिया।

:: निर्णय :: दिनांक :– 29.01.2025

अपीलान्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 75 के तहत तहसीलदार,नागौर द्वारा प्रकरण संख्या 46/2024 अनवान सरकार बनाम कालूराम में पारित निर्णय दिनांक 01.08.2024 से असंतुष्ट होकर दिनांक 06.08.2024 को प्रस्तुत की हैं। अपीलान्ट की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

वकील उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलांट का दोराने बहस कथन हैं कि तहसीलदार जी नागौर के समक्ष पटवारी हल्का अलाय ने पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर सरासर गलत अतिक्रमण रिपोर्ट दिनांक 15.7.2024 को अपीलांट्स व सहखातेदार रेस्पो. सं .2 के विरूद्व पेश करके व गलत तवज्जह दिलाकर अपीलांट्स/गेर सायलान व रेस्पो.सं. 2 सुखाराम को खसरा नं. 1164 वाके मौजा धूंधवालो की ढाणी के क्षेत्रफल 1.1052 हैक्टेयर पर कृषि वर्ष संवत 2081 के दौरान अतिक्रमण करना बता कर तहसील कार्यालय नागौर से नोटिस दिलवाया गया, जिस पर अपीलांट्स/गेर सायलान ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जी नागौर के यहां जवाब पेश कर निवेदन किया कि गेर सायलान का कथित खसरा के किसी भी भूभाग पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण न तो था न है बल्कि वास्तविक स्थिति तो यह है कि जो कथित खसरा नं. 1164 नोटिस में बताया हैं उसमें प्रथम तो इस खसरा की किस्म भी नोटिस में अंकित नहीं है फिर भी गेर सायलान श्रीमान के समक्ष वास्तविक स्थिति स्पष्ट करना चाहते है जो इस प्रकार है कि पुराने खसरा नं. 577 रकबा 3 बीघा, खसरा नं. 600

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नं. 578 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा मौजा अलाय की सरहद में स्थित थे, उक्त पुराने खसरा नम्बर 577, 600 व 578 से नया खसरा नं. 1164 गेर मुमकिन रास्ता वक्त सेटलमेंट कायम हुआ, इस संबंध में भूप्रबन्ध (सेटलमेंट) विभाग की प्रति पेश कर आगे जवाब में निवेदन किया कि कालान्तर में अलाय ग्राम पंचायत में से धूंधवालो की ढाणी नया राजस्व गांव सृजित हो गया जिससे उक्त वर्तमान खसरा नं. 1164 रास्ता सरहद धूंधवालो की ढाणी की सरहद में आया हुआ है। उक्त खसरा नं.1164 के आस पास व रास्ता के लगता गेर सायलान का कोई खेत नहीं है,ऐसी स्थिति में गेर सायलान द्वारा उक्त खसरा नं. 1164 रास्ता पर किसी प्रकार का अतिक्रमण करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है तथा नोटिस में भी यह अंकित नहीं है कि गेर सायलान ने क्या अतिचार किया है व कैसे अवरोध किया है? कुछ भी अंकित नहीं है जिससे स्पष्ट है कि पटवारी हल्का ने केवल मात्र गेर सायलान से अदावत रखने वाले समूह विशेष के लोगो के दबाव व बहकावे में आकर व राजनेतिक प्रभाव के चलते गेर सायलान को नाजायज तंग परेशान करने के दुराशय से मिथ्या अतिक्रमण की रिपोर्ट तहसीलदार जी के समक्ष पेश की है व वास्तविक तथ्य तहसीलदार जी से छुपाये है। कथित खसरा नं. 1164 जिसके संबंध में नोटिस दिलवाया गया है उक्त खसरा नं. 1164 से गेर सायलान का कोई सरोकार नहीं रहा है। गेर सायलान की खातेदारी का खेत खसरा नं. 2094/1184 जो मूल खसरा नं. 1184 का भाग है तथा खसरा नं. 1184 के पुराने खसरा नम्बर 615 था, कालान्तर में पुराने खसरा नं. 615 के नये खसरा नं. 1184 रकबा 32 बीघा कायम हुआ व तत्पश्चात खसरा नं. 1184 के सहखातेदारो के मध्य बंटवाड़ा होने से हाल खसरा नं. 2094/1184 गेर सायलान की खातेदारी में दर्ज हुआ और गेर सायलान की खातेदारी के उक्त खेत खसरा नं. 2094/1184 में से कथित रास्ता खसरा नं. 1164 नहीं निकलता है ऐसी स्थिति में खसरा नं. 1164 रास्ता पर गेर सायलान द्वारा अतिचार करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है बल्कि पड़ौसी खातेदार जो कि गेर सायलान से गांव की राजनेतिक अदावत रखते है इस कारण पटवारी हल्का से मिथ्या रिपोर्ट गेर सायलान के विरूद्ध पेश करवाई हैं। पटवारी हल्का ने कभी भी मोके पर आकर कोई मौका जांच नहीं की व गेर सायलान द्वारा खसरा नं. 1164 पर किस प्रकार कब व कैसे अतिक्रमण किया इस बाबत किसी ने लिखित शिकायत है इसकी भी कोई प्रति गेर सायलान को प्राप्त नहीं हुई है जिसके कारण खुलासा जवाब ऐसी शिकायत बाबत दिया जाना संभव नहीं है। इन परिस्थितियो में स्पष्ट है कि गेर सायलान को नाजायज तंग परेशान करने के लिए समूह विशेष के लोगो ने मिथ्या रिपोर्ट करवाई है जबकि खसरा नं. 1164 पर गेर सायलान का कोई अतिक्रमण नहीं है रास्ता जिस हालत में था उसी हालत में आज दिन चल रहा है इस कारण गेर सायलान के विरूद्ध कार्यवाही हाजा ड्रोप की जाना न्याय संगत है। पटवारी हल्का ने पद का दुरूपयोग करके गरीब काश्तकारो को तंग परेशान करने हेतु नाजायज व बिना आधार के मिथ्या आधारो पर, राजस्व रेकर्ड की जानकारी होते हुऐ भी जानबूझ कर गलत रिपोर्ट पेश की है। इस संबंध में उनके विरूद्ध अलग से कार्यवाही की जावेगी। इन परिस्थितियो से अधीनस्थ न्यायालय को अवगत करवाकर गेर सायलान के विरूद्ध नोटिस की कार्यवाही ड्रोप करने का निवेदन भी किया गया। परन्तु विद्वान तहसीलदार नागौर ने अपीलांट्स को साक्ष्य सबूत का व पटवारी से जिरह आदि का अवसर दिये बिना तथा रेस्पो.सं. 2 की तामिल करवा कर उसका जवाब लिये बिना अत्यंत ही

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

जल्दबाजी में बिना किसी अर्जेन्सी के अपीलांट्स व रेस्पो.सं. 2 को मौजा धूंधवालो की ढाणी तहसील व जिला नागौर के खसरा नं. 1164 रकबा 1.0522 हैक्टेयर में से 0.1052 हेक्टेयर किस्म गे. मु. रास्ता का अतिक्रमी घोषित करते हुऐ व पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानते हुऐ बेदखली व जुर्माना से दण्डित करते हुऐ प्रत्येक को एक–एक माह के सिविल कारावास से दण्डित करने का निर्णय दिनांक 1.8.2024 को पारित किया गया। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय जैर अपील कतई गलत, विधि विरूद्ध, बिना मौका व रेकर्ड की जांच किये, सरसरी तौर पर ही पारित किया होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

विद्वान वकील अपीलांट्स का यह भी कथन हैं कि कथित खसरा नं. 1164 मौजा धूंधवालो की ढाणी गै0मु0 मुमकिन रास्ता पर कभी कोई अतिक्रमण न तो पहले था न आज दिन है,जबकि उक्त रास्ता से काफी दूरी पर अपीलांट्स व रेस्पो.सं. 2 की सहखातेदारी का खेत खसरा नं. 2094/1184 आया हुआ है ऐसी स्थिति में जब रास्ता के पास अपीलांट्स का खेत ही नहीं है तो रास्ता की भूमि पर अपीलांट्स अथवा रेस्पो.सं. 2 की ओर से अतिक्रमण करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है केवल मात्र गांव की राजनेतिक रंजिश के चलते विशेष के लोगो द्वारा बार बार पटवारी हल्का से झुठी शिकायते करते हुऐ नाजायज तंग परेशान किया जा रहा है। अधीनस्थ न्यायालय में पेश किये गये जवाब में अपीलांट्स ने सारी वस्तु स्थिति रेकर्ड आदि के संबंध में स्पष्ट कर देने के बावजूद तहसीलदारजी ने अपने स्तर पर किसी प्रकार की कोई जांच नहीं करके पटवारी हल्का की गलत रिपोर्ट को आधार मान कर आनन फॉनन में बिना अर्जेन्सी के इस तरह का कठोर निर्णय पारित करने में विधिक त्रुटि की है।

विद्वान वकील अपीलांट का यह भी तर्क हैं कि प्रकरण हाजा के संबंध में अपीलांट्स ने तहसीलदार जी के समक्ष भी वास्तविक स्थिति स्पष्ट करते हुऐ जवाब में निवेदन कर दिया था कि पुराने खसरा नं. 577 रकबा 3 बीघा, खसरा नं. 600 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नं. 578 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा मोजा अलाय की सरहद में स्थित थे, उक्त पुराने खसरा नम्बर 577, 600 व 578 से नया खसरा नं.1164 गेर मुमकिन रास्ता वक्त सेटलमेंट कायम हुआ, इस संबंध में भूप्रबन्ध (सेटलमेंट) विभाग की प्रति भी पेश कर दी व निवेदन किया कि कालान्तर में अलाय ग्राम पंचायत में से धूंधवालो की ढाणी नया राजस्व गांव सृजित हो गया जिससे उक्त वर्तमान खसरा नं. 1164 रास्ता सरहद धूंधवालो की ढाणी की सरहद में आया हुआ है। उक्त खसरा नं. 1164 के आस पास व रास्ता के लगता गेर सायलान का कोई खेत नहीं है ऐसी स्थिति में गेर सायलान द्वारा उक्त खसरा नं. 1164 रास्ता पर किसी प्रकार का अतिक्रमण करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है तथा नोटिस में भी यह अंकित नहीं है कि गेर सायलान ने क्या अतिचार किया है व कैसे अवरोध किया है? कुछ भी अंकित नहीं है जिससे स्पष्ट है कि पटवारी हल्का ने केवल मात्र गेरसायलान से अदावत रखने वाले समूह विशेष के लोगो के दबाव व बहकावेमें आकर व राजनेतिक प्रभाव के चलते गेर सायलान को नाजायज तंग परेशान करने के दुराशय से मिथ्या अतिक्रमण की रिपोर्ट पेश की है। ऐसी स्थिति में तहसीलदारजी का यह विधिक दायित्व बनता था कि मौके पर जाकर या निष्पक्ष टीम को भेज कर अपने स्तर पर रेकर्ड की जांच करवा कर वस्तु स्थिति पत्रावली पर लेते मगर जवाब के तथ्यो पर तहसीलदारजी नागौर ने किंचित भी गौर नहीं करके अत्यंत जल्दबाजी में बेदखली व कारावास से

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

दण्डित करने का कठोर निर्णय पारित करने में भारी कानूनी ववाकियाती त्रुटि की है इसलिए निर्णय जैर अपील खारिज किये जाने योग्यहै।

प्रकरण हाजा में रेस्पो.सं. 2 भी अपीलांट के साथ सहखातेदार है लेकिन रेस्पो.सं. 2 की कोई सम्यक तामिल करवाये बिना व उसका जवाब लिये बिना, साक्ष्य सबूत का अवसर दिये बिना एकतरफा में निर्णय जैर अपील पारित करने में विधिक त्रुटि की है जबकि इस संबंध में निवेदन है कि रेस्पो.सं. 2 तो पिछले 5 साल गुजरात राज्य में मजदूरी के लिए रहता है ऐसी स्थिति में उसके द्वारा अतिक्रमण करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है इसके बावजूद उसके द्वारा अतिक्रमण करने की सरासर मिथ्या रिपोर्ट की है न तो रेस्पो.सं. 2 ने कोई अतिक्रमण किया है न अपीलांट्स का कोई अतिक्रमण है बल्कि केवल मात्र रेकर्ड दुरूस्ती का मामला है जिसके संबंध में सक्षम न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है ऐसी स्थिति में इस तरह से कठोर दण्ड से दण्डित करने का निर्णय जैर अपील पारित करने में तहसीलदारजी ने भारी कानूनी त्रुटि की है जिससे निर्णय जैर अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

अपीलांट्स व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की भूमि पुराने खसरा नं. 632 का रकबा 32 बीघा था व आज भी उसी अनुसार मौके पर कब्जा है जिसके नये खसरा नं. 1184 रकबा 32 बीघा कायम हुऐ जिसके दो टुकड़े होकर खसरा नं. 1184 व 2094/1184 कायम हुऐ इन दोनो का कुल रकबा 32 बीघा आज दिन है केवल मात्र तरमीम गलत हो जाने से उसकी दुरूस्ती हेतु सक्षम न्यायालय में कार्यवाही चल रही है उक्त गलत तरमीम को तहसीलदार व पटवारी हल्का को दुरूस्त करना था मगर ऐसा नहीं करके उसकी आड़ में व अपीलांट्स से रंजिश रखने वालो के दबाव में आकर भ्रमित व मौके की स्थिति के व रेकर्ड के विपरीत तथ्य दर्ज कर पटवारी ने गलत रिपोर्ट करके निर्णय जैर अपील पारित करवाया है। यहां यह बताना भी आवश्यक हैं कि खसरा नं. 1164 जो रास्ता की भूमि है वह खसरा नं.577, 600 व 578 में से बना था जिसका रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा था व आज दिन भी उसी अनुसार है तथा अपीलांट्स के पुराने खसरा नं. 615 जिसके नये खसरा नं. 1184 व 2094/1194 बने है जिसमें से किसी प्रकार की जमीन खसरा नं. 1164 में नहीं आई है जिसकी जानकारी पटवारी हल्का को होते हुऐ भी पटवारी हल्का ने मौके पर कोई जांच, नाप किये बिना गलत रिपोर्ट रेकर्ड के विपरीत बना कर पेश कर दी व पटवारी हल्का से अपीलांट्स को जिरह का भी कोई अवसर नहीं देकर एकतरफा कार्यवाही करने हेतु निर्णय जैर अपील पारित किया है जो कतई विधि सम्मत नहीं हैं।

अपीलांट्स व रेस्पो.सं. 2 को जिस कथित पूर्व प्रकरण का हवाला देकर पश्चातवर्ती अतिक्रमी माना है कथित पूर्व प्रकरण सरासर गलत दर्ज करवाया गया था जिसके संबंध में उस समय सक्षम न्यायालय में अपील भी पेश कर दी व बाद में रेकर्ड दुरूस्ती वाले प्रकरण में न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश भी पारित कर रखा था ऐसी स्थिति में अपीलांट्स को पश्चातवर्ती अतिक्रमी कतई नहीं माना जा सकता है। इस आधार पर पारित निर्णय जैर अपील कतई विधि सम्मत नहीं है।

अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर निर्णय जैर अपील विधि विरूद्व होने से अपास्त/ निरस्त किया जावें तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः सुनवाई कर मौका जॉच कर साक्ष्य सबूत लेकर निर्णय किये जाने हेतु रिमाण्ड फरमाया जावें।

कलक्टर नागौर

राजपेरोकार का दौराने बहस कथन हैं कि राजस्व रेकार्ड अनुसार मौजा धूंधवालों की ढाणी के खसरा नम्बर 1164 रकबा 1.0522 हैक्टयर भूमि गै0मु0 रास्ता की भूमि हैं। अपीलांट एवं अन्य गैरसायलान द्वारा इस रास्ता की भूमि पर अतिक्रमण किये जाने से उनके विरूद्व पटवारी हल्का एवं भू0अभिलेख निरीक्षक द्वारा विधिवत् जॉच के उपरान्त मौके पर उनका अतिचार पाये जाने पर उनके विरूद्व यह कार्यवाही प्रस्तुत की हैं। जो सही कार्यवाही पेश की गई हैं।

राजपेरोकार का यह भी कथन हैं कि अपीलांट व अन्य गैरसायलान द्वारा पूर्व में भी इसी रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण किया गया था जो प्रकरण संख्या 50/2022 न्यायालय तहसीलदार,नागौर में दर्ज हुआ तथा उसमें भी अधीनस्थ न्यायालय ने बेदखली के आदेश पारित किये तथा दिनांक 26.06.2024 को इस निर्णय की पालना में पुलिस की मौजूदगी में रास्ता की भूमि पर से अतिक्रमण हटाया गया था तथा गैर सायलान को बेदखली किया गया था उसके बावजूद उनके द्वारा यह पुनः अतिक्रमण किया गया हैं। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने इन्हें पश्चात्वर्ती अतिक्रमी मानते हुवे यह निर्णय दिनांक 01.08.024 को पारित किया हैं,जो सही पारित किया गया हैं। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज फरमायी जावें।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के संलग्न पटवारी(भू0अ0) पटवार मण्डल,अलाय एवं भूमि निरीक्षक,अलाय द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षर सहित रिपोर्ट दिनांक 15.07.2024 को तहसीलदार, नागौर को इस आशय की पेश की हैं कि ग्राम धूंधवालों की ढाणी के खसरा नं0 1164 रकबा 0.1052 हैं0 किस्म भूमि गै0मु0 रास्ता पर श्री कालूराम,शिवलाल,सुखाराम पिता रतूराम,पुरखादेवी पत्नी स्व0 रतूराम कौम जाट निवासी–धूंधवालों की ढाणी द्वारा सम्वत् 2081 में फसल जरिऐ काश्त(जोत) कर रास्ते को बंद कर नाजायज कब्जा कर लिया हैं। इस आशय की प्रस्तुत टी0पी0 रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय तहसीलदार,नागौर में प्रकरण संख्या 46/24 दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायलान को जरिऐ नोटिस तलब किया गया। गैर सायलान संख्या 1,2 एवं 4 की ओर से अभिभाषक श्री रामदेव सिंवर उपस्थित हुवे तथा इनकी ओर से न्यायालय में जबाब भी दिनांक 09.07.2024 को फाईल किया गया हैं। प्रकरण में भू0अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का,अलाय के बयान कलमबंद दिनांक 31.07.2024 को किये गये हैं।

पत्रावली में प्रस्तुत खसरा परिवर्तित निर्धारण सम्वत् 2081 ग्राम धूंधवालों की ढाणी के अनुसार खसरा नम्बर 1164 की किस्म गै0मु0 रास्ता दर्ज हैं। इस रास्ता की भूमि के रकबा 0.1052 है0 पर जोत कर रास्ते का अतिक्रमण कर बन्द किया गया अंकित हैं तथा कॉलम संख्या 14 में पश्चातवर्ती अतिक्रमी अंकित किया गया हैं। कॉलम संख्या 3 में कालूराम,शिवलाल,सुखाराम पि0 रतूराम,पुरखादेवी पत्नी स्व0रतूराम जाति–जाट,निवासी–धूंधवालो की ढाणी अंकित हैं। अपील के साथ प्रस्तुत की गई जमाबंदी नकल सम्वत् 2077–2077 खाता संख्या 1 में खसरा नम्बर 1164 रकबा 1.0522 है0 गै0मु0 रास्ता दर्ज हैं। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड से यह भली भांति साबित हैं कि खसरा नम्बर 1164 रकबा 1.0522 हैं0 भूमि राजकीय गै0मु0 रास्ता की भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज हैं। अपीलांट द्वारा खसरा नम्बर 1164 की भूमि उनकी स्वामित्व की भूमि होने के सम्बन्ध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य न तो अधीनस्थ न्यायालय में पेश किये हैं एवं न ही अपील के साथ पेश किये हैं।

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

विद्वान वकील अपीलांट का यह कहना हैं कि सेटलमेन्ट के समय गलत नक्शा तैयार कर जो रास्ता दर्शाया गया हैं,उसे दुरूस्त करने हेतु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नागौर में धारा 131 राजस्थान भू0अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई हैं। अब इस प्रकरण में बिन्दू यह हैं कि वर्तमान राजस्व रेकार्ड एवं नक्शा में रास्ता दर्ज हैं एवं जब तक इस राजस्व नक्शा में किसी प्रकार के दुरूस्ती के आदेश नहीं होते हैं तब तक वर्तमान प्रविष्टियों को ही सही एवं विधिवत् माना जायेगा । केवल मात्र प्रकरण न्यायालय में दर्ज करवाये जाने से किसी वर्तमान राजस्व रेकार्ड को गलत नहीं कहा जा सकता हैं। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण राजस्व रेकार्ड के अवलोकन से यह प्रगट हैं कि खसरा नम्बर 1164 ग्राम धूंधवालों की ढाणी रकबा 1.85 है0 किस्म भूमि गै0मु0 रास्ता की भूमि हैं,जो सार्वजनिक प्रयोजनार्थ की भूमि हैं। इस भूमि पर अपीलांट को किसी प्रकार के कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं।

पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से यह भी प्रगट हैं कि पूर्व में अपीलांट एवं अन्य गैर सायलान द्वारा इसी भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर प्रकरण संख्या 50/22 दर्ज हुआ जिसमें भी उन्हें बेदखल किये जाने के आदेश जारी किये गये तथा इस प्रकरण की अपील इसी न्यायालय में अपील संख्या 222/2022 दर्ज होने पर अपीलीय न्यायालय द्वारा निर्णय पारित कर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार,नागौर द्वारा प्रकरण संख्या 50/22 में पारित निर्णय को यथावत् रखा गया था। अपीलीय न्यायालय के निर्णय की अपील उच्च न्यायालय में पेश किये जाने का कोई दस्तावेज अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया हैं। इस प्रकार अपीलीय न्यायालय का पूर्व से ही निर्णय प्रभावी हैं तो फिर अन्य ओर किसी प्रकार का इस निर्णय में उल्लेख किये जाने की आवश्यकता ही नहीं हैं।

पत्रावली के अवलोकन से प्रश्नगत भूमि राजकीय गै0मु0 रास्ता की सार्वजनिक भूमि हैं तथा पूर्व में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना में गैर सायलान को दिनांक 26.06.204 को बेदखल किया गया हैं,फर्द बेदखली अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के संलग्न हैं। अब पुनः अपीलांट द्वारा इस गै0मु0 रास्ता की भूमि पर अतिचार किया गया हैं,जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में दिनांक 01.08.2024 को निर्णय पारित कर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुवे एक–एक माह के सिविल कारावास के दण्ड से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91(2) के तहत दण्डित किये जाने का आदेश पारित किया गया हैं,जो विधिवत् आदेश पारित किया गया हैं। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार,नागौर द्वारा पारित निर्णय जैर अपील में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता हैं।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील खारिज योग्य होने से खारिज की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार,नागौर द्वारा पारित निर्णय जैर अपील की पुष्टि की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मय निर्णय की प्रति के पुनः लौटाया जावें।

निर्णय आज दिनांक 29.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

(अरूण कुमार पुरोहित)
जिला कलक्टर,नागौर